

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0अ0सं0-1/अ0प्र0-01-77/2024

413

/पटना, दिनांक 12/11/24

विभाग अन्तर्गत AC/DC के असमायोजित राशि के समायोजन हेतु आंतरिक वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में निम्नरूपेण एक समिति का गठन किया जाता है:-

1. श्री आमीर नैय्यर, आंतरिक वित्तीय सलाहकार - अध्यक्ष
2. श्री आदित्य प्रकाश, अवर सचिव - सदस्य
3. श्री प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल', अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी - सदस्य
4. श्री अजित कुमार, नोडल पदाधिकारी, MMGSY - सदस्य
5. श्री नीरज कुमार, सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार - सदस्य
6. श्री संजीव रंजन, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-12 - सदस्य
7. श्री गौतम भाष्कर, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-13 - सदस्य
8. श्री चन्दन कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-13 - सदस्य
9. श्री राहुल कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-12 - सदस्य
10. श्री भुवन लाल कर्ण, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-06 - सदस्य
11. श्री धनंजय कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-10 - सदस्य

2. श्री प्रदीप कुमार, संविदा पर नियोजित निम्नवर्गीय लिपिक समिति के समक्ष वांछित कागजात/दस्तावेज उपस्थापित करेंगे। समिति प्रत्येक कार्यदिवस कार्य करते हुए पन्द्रह दिनों के अन्दर मामले का निष्पादन करेंगे।
3. प्रस्ताव पर विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

(कुमार अमिल सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-1/अ0प्र0-01-77/2024

7422

/पटना दिनांक 12/11/24

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/अपर सचिव के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी/कर्मो/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव